न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग – 1923-I-16

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण

मुकेश भार्गव अभिभाषक द्वारा आज दि. 16-6-2016 को प्रस्तुत

क्लर्क, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 16-6-16 एडवोकेट ग्वालियर

योगेश तिवारी पुत्र श्री मोहनलाल तिवारी
निवासी ग्राम टहनगा तह. लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. काशीप्रसाद पुत्र सरजूप्रसाद पाठक
2. पुष्पेन्द्र पुत्र रामकृपाल रिछारिया
दोनों निवासीगण ग्राम हंसपुरा तह. लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 95 अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अधीनस्थ प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि अनावेदक कं. 1 व 2 ने नायब तहसीलदार पढा के प्र.कं. 30/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 9 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की है जिसमें अनावेदक कं. 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी का न तो कोई श्रोत बताया और न ही विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी के दिनांक का उल्लेख

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1923—एक/2016 जिला छतरपुर

योगेश तिवारी विरूद्ध काशीप्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
~~19-2-2019~~ 20/02/2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 95/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 18—4—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/02/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	